फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री कान्तिलाल उपाध्याय जाति उपाध्याय निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 64 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.11.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को दिनॉक 07.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि श्रीमान निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक/एफ–3(ख)(एम–62/92)अलेसे–2/1340 दिनांक 01.02.2021 की पालना में श्री मुरलीधर कुमावत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 कार्यालय पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही के विरूद्ध अपीलांट की शिकायत दिनांक 06.11.2020 की जांच की गई थी जिसमें अपीलांट ने दिनांक 02.03.2021 को कोषाधिकारी सिरोही को छः पृष्ठों में लिखित बयान पेश किए थे। अतः अपीलांट की उक्त शिकायत पर की गई जांच की जांच प्रतिवेदन एवं सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजो से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को दिनॉक 07.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि श्रीमान निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक/एफ–3(ख)(एम–62/92)अलेसे–2/1340 दिनांक 01.02.2021 की पालना में श्री मुरलीधर कुमावत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 कार्यालय पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही के विरूद्ध अपीलांट की शिकायत दिनांक 06.11.2020 की जांच की गई थी जिसमें अपीलांट ने दिनांक 02.03.2021 को कोषाधिकारी सिरोही को छः पृष्ठों में लिखित बयान पेश किए थे। अतः अपीलांट की उक्त शिकायत पर की गई जांच की जांच प्रतिवेदन एवं सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजो से संबंधितं सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पत[illegible] कि उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी [illegible] दिनांक 10.08.2021 को अपीलांट को सूचना दे दी गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम [illegible]। (भगवती प्रसाद) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:37:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner